O/o CE (EITC)
Receipt No. 4541
Date 14 OCT 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE ...... wdh
Section ......

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित डंगनिया, रायपुर

क्रमांक 02–01/राजव–एक C-IV/235 रायपुर, दिनांक 13/10/2016

विषय :– आवेदक द्वारा 1 किलोवॉट घरेलू कनेक्शन हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन की राशि को किश्तों में जमा करने बाबत्।

//परिपत्र//

केन्द्रीय शासन के ईज ऑफ डूईंग के अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की प्रकिया को सरलीकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेश कमांक CSEB/2016/1135 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु लाइन आफोर्डिंग राशि निर्धारित किया गया है। दिनांक 07.08.2016 को प्रबंध निदेशक (वितरण) के द्वारा आहूत बैठक में मैदानी अधिकारी द्वारा संज्ञान में लाया गया कि एटी एण्ड सी लॉस कम करने हेतु नये विद्युत कनेक्शन त्वरित गतिसे प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है। नवीन विद्युत प्रदाय किये जाने केलिए अधिनस्थ विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर कनेक्शन दिये गए लेकिन इसका उत्साहजनक प्रतिसाद प्राप्त नहीं हुआ, जिसका कारण यह है कि 1 किलोवॉट तक घरेलू कनेक्शन हेतु उपभोक्ता को एक मुश्त 2300/– की राशि जमा करना होता है, जिसे जमा करने में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता असमर्थ दिखे। जिसके कारण नये विद्युत कनेक्शन दिये जाने की प्रगति संतोषजनक प्राप्त नहीं हो रही है। उपभोक्ताओं को विशेष सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से कम्पनी प्रबंधन द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन की राशि को किश्तों में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1 किलोवॉट के घरेलू नवीन विद्युत कनेक्शनआवेदन को निम्न राशि जमा करनी होती है।

(अ)	प्रकिया शुल्क की राशि रूपये	200/–
(ब)	सर्विस कनेक्शन की राशि रूपये	500/–
(स)	सप्लाई अफोडिंग चार्जेस	500/–
(द)	ऊर्जा सुरक्षा निधि की राशि	1100/–
	कुल राशि	2300/–

कमजोर वर्ग के आवेदक 1 किलोवॉट तक के घरेलू नये विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करते हैं तो उनसे किश्तों में निम्नानुसार राशि प्राप्त की जावे।

(अ) आवेदन के साथ 300/–

(ब) नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के पश्चात प्रतिमाह 200/– दस माह तक

कार्यपालक निदेशक (संचा/संधा)
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.,रायपुर

प्रतिलिपि –

1. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियन्ता (..........क्षे.) छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.......................... ।
2. मुख्य अभियन्ता, ऊर्जा सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (संचा–संधा/नगर 1– 2) वृत्त छ.रा.वि.वि.कं.मर्या. .... ।
4. कार्यपालन अभियन्ता (संचा–संधा/शहर) संभाग छ.रा.वि.वि.कं.मर्या